(भारत के राजपत्र असाधारण, भाग–I, खण्ड–I में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेष व्यापार महानिदेषालय
वाणिज्य भवन, नई दिल्ली

सार्वजनिक सूचना सं. 13/2024–2025
दिनांकः– 26 जून, 2024

विषयः प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 2.57 और 2.58 में संषोधन के संबंध में।

विदेश व्यापार नीति 2023 के पैरा 1.03 और 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक, विदेश व्यापार एतदद्वारा प्रकिया पुस्तक 2023 के पैरा 2.57 और 2.58 के तहत निम्नलिखित संषोधन करते हैं:–

2.57 प्रषुल्क दर कोटा स्कीम के तहत आयात की प्रकिया

क. प्रषुल्क दर कोटा स्कीम के तहत आयात समय–समय पर यथा संषोधित, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की सीमा षुल्क अधिसूचना संख्या 28/2020–सीमाषुल्क दिनांक 23 जून, 2020 के अनुसार होगा।

ख. प्रषुल्क दर कोटा स्कीम के अंतर्गत आने वाली मदों का विवरण निम्नानुसार हैः–

क्रम सं.	एच एस कोड	वस्तुओं का विवरण	प्रशुल्क दर कोटा मात्रा
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	0402 10 या 0402 21 00	पॉवडर, ग्रेन्यूल्स या अन्य ठोस रूपों में दूध और क्रीम, (क) वजन के अनुसार वसा की मात्रा 1.5% प्रतिषत से कम नही होनी चाहिए (ख) वजन के अनुसार वसा की मात्रा 1.5% प्रतिषत से कम नही होनी चाहिए– इसमें अतिरिक्त चीनी या अन्य मीठा पदार्थ नहीं मिला हुआ है	10,000 मी.ट.
2.	1005 90 11	डेंट कॉर्न (ज़िया मेस वीएआर. इंडेंटा):—पीला	4,98,900 मी.ट
	1005 90 19	डेंट कॉर्न (ज़िया मेस. वीएआर. इंडेंटा):—अन्य	
	1005 90 20	फ्लिंट मक्का (ज़िया मेस वीएआर. इंडुराटा)	
	1005 90 90	अन्य	
	1005 90 30	मक्का (ज़िया मेस वीएआर. एवर्टा)	1,100 मी.ट
3.	1512 11	कच्चे सूरजमुखी के बीज या कुसुम तेल और उसके अंष	1,50,000 मी.ट
4.	1514 19 या 1514 99	परिष्कृत रेपसीड, कोल्ज़ा या सरसों का तेल और उसके अंष	1,50,000 मी.ट

ग. जबकि तेलंगाना राज्य और आंध्र प्रदेष राज्य के लिए हैदराबाद में माननीय उच्च न्यायालय ने डब्ल्यूपीएमपी संख्या 43494/2014 और डब्ल्यूपी संख्या 34771/2014 में दिनांक 31.12.2014 के आदेष के तहत केवल वास्तविक उपयोगकर्ता षर्त पर और प्रचलित सीमा षुल्क के भुगतान पर मक्का के आयात की अनुमति दी है, लेकिन टीआरक्यू सीमा षुल्क के भुगतान षुल्क अनुमति नहीं दी है, जो रिट

सं. सारंगी

याचिका में आगे के आदेशों के अधीन है। तदनुसार, मक्का पर टीआरक्यू उक्त रिट याचिका में माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अधीन होगा।

2.58 कोटा आवंटन के लिए पात्र कंपनियां

निम्नलिखित कंपनियां प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 2.57 के संदर्भ में प्रशुल्क दर कोटा के लिए आवदेन करने हेतु पात्र होंगी:

(क) पैरा 2.57 (ख)(1) में मदें – राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी), राष्ट्रीय सहकारी डेयरी संघ (एनसीडीएफ), भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (नेफेड)।

(ख) पैरा 2.57(ख)(2) में मदें – भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (नेफेड), राज्य सहकारी विपणन संघ।

(ग) पैरा 2.57 (ख)(3) एवं (4) में मदें – राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी), भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (नेफेड), केंद्रीय भंडारण निगम (सीडब्ल्यूसी), राज्य सहकारी विपणन संघ एवं राज्य सहकारी नागरिक आपूर्ति निगम।

इस सार्वजनिक सूचना का प्रभावः प्रशुल्क दर कोटा स्कीम के अंतर्गत प्रक्रिया और पात्रता में संषोधन किया गया है।

संतोष कुमार सारंगी
26.6.2024

(संतोष कुमार सारंगी)
महानिदेशक विदेश व्यापार
एवं पदेन अपर सचिव, भारत सरकार
ई–मेलः dgft@nic.in

(फाइल संख्या एम–5409/2002/पीसी–2 [क]/पार्ट–1/ई–17901 से जारी)